

क्र.सं.	दिनांक अथवा या काव्यवर्ष	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रपत्र 85/2020 काकचर 1/3 रामस्वयं
	22/9/23	पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी (उप) वकील प्रार्थी की कटस सुनी गयी। आदेश देवु पञ्चावली से 11/10/23 को पेश हो।
	11/10/23	पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपो व्यवस्था के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। आदेश देवु से 11/10/23 को पेश हो।
	11/10/23	पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपो व्यवस्था के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। पञ्चावली वाले आदेश देवु दिनांक 11/10/23 को पेश हो।
	18/10/23	पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपो पञ्चावली व रामस्व रिकार्ड, जयस तदलीदार सांगानेर का अधोपन्न अपणोक्त कठि व वकील प्रार्थी की कटस का सौंर मन्म कसे पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जयसदी सम्पत् 2014-17 अनुसार खाल संख्या 51 बालुराम पुत्र अंर. हिस्सा 5/48 भाति प्राधम साण देव कुल किला 17 रकबा 2 8040 है वर व खाल संख्या 52 बालुराम पुत्र अंर. हिस्सा 5/48 भाति प्राधम साण देव कुल किला 6 रकबा 1 03 है वर व खाल संख्या 33 बालुराम पुत्र अंर. हिस्सा 5/48 भाति प्राधम साण देव कुल किला 8 रकबा 4 03 है के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नामा संख्या 110 दिनांक 21/12/19 जसिये विरासत और के स्थान पर बालुराम, रामनाथ, रामेश्वर पि. और नामान्तरक के दर्ज हुआ है इससे साबित होता है कि पूर्ववर्ती एवं पूर्ववर्ती रामस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तदलीदार सांगानेर से लिपिकेय मुद्रि साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रणव्य विनाशित कर 136 भू-रामस्व अधिनियम 1956) खारिज किया जाता है। पञ्चावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिलदफ्तर हो सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)